न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

अपील संख्याः 85/2023 GCMS No.—2023/514

राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेमावास उर्फ खिवांस, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर।
2 बद्रीनारायण मीणा पुत्र श्री भगवाना मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम खेमावास तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान। (मृतक दौराने अपील)
2/1 श्रीमती धन्नी देवी मीणा पत्नी स्व0 श्री बद्री मीणा,
2/2 पप्पू मीणा
2/3 घनश्याम मीणा
2/4 रामसिंह मीणा
2/5 श्रीमती छोटी देवी धर्मपत्नी श्री जगदीश मीणा
2/6 श्रीमती स्यानी देवी धर्मपत्नी नामालूम
समस्त पुत्र—पुत्रान स्व0 श्री बद्री मीणा जाति मीणा, निवासीयान ग्राम खेमावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 13/2017 दिनांक 12.04.2018 ग्राम खेमावास उर्फ खिंवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

उपस्थितः—
1. श्री सीताराम एवं कृष्ण कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 31.01.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 12.04.2018 जिससे प्रकरण संख्या 13/2017 बउनवानी राधेश्याम बनाम सरकार में नामान्तकरण की समरी प्रोसिंडिंग को रोका गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 04.09.2018को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गयी। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2/1 लगायत 2/6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक उपस्थित आये। तहसीलदार जमवारामगढ से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गयी जो शामिल मिसल रहे एवं अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट की मौखिक बहस भी सुनी गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों अनुसार कि अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 69, 72, 137 ग्राम खेमावास उर्फ खिंवास त ह0 जमवारामगढ में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के संदर्भ में अपीलांट के ताउजी स्व. श्री

घीसालाल पुत्र सोहनलाल जो उपरोक्त कृषि भूमि के काबिज काश्तकार थे जिन्होनें अपीलांट के हक में एक वसीयत का निष्पादन दिनांक 20.01.2012 को किया था जिस अनुसार प्रार्थी अपीलांट ने वसीयत दिनांक 20.01.2012 में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष दिनांक 16.12.2012 को किया। अपीलांट द्वारा नियमानुसार न्यायालय मातहत के समक्ष नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु आवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र मूल वाद के निस्तारण तक प्रोसीडिंग स्टे किये जाने बाबत पेश किया जिस पर उभयपक्षो की दिनांक 23.02.2018 को बहस सुनी गयी। जिसके पश्चात तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा 12.04.2018 को नामान्तकरण बाबत रिमाण्ड पत्रावली की समरी प्रोसिंडिग को रोका जाना उचित समझते है जब तक लंबित नियमित वाद का निस्तारण नहीं हो का आदेश पारित किया। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 09.11.2012 को नामान्तकरण पर पारित आदेश प्रकरण संख्या 10/2012 में खसरा नंबर 69, 72, 137 के संबंध में आदेश दिया था जिसमें माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी एवं माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.06.2018 को तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय को निरस्त कर उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया। अपीलांट उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वसीयतकर्ता मुताबिक 3/4 हिस्से पर काबिज काश्त था एवं शेष 1/4 हिस्से पर श्री गंगाराम के उत्तराधिकारी हिस्सेदार है। खसरा नंबर 69, 72 व 137 वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि है। वसीयतग्रहिता का वसीयतनामें के आधार पर विरासत का नामान्तकरण है जिसे खोलने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। क्योंकि वसीयतनामें के बात आपत्तिकर्ता बद्री मीणा का भी कोई विवाद नहीं है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष अपीलांट द्वारा न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष दिनांक 21.07.2017 को निर्णय अपील प्रस्तुत कर दिया गया। दिनांक 21.07.2017 से 23.03.2018 तक अपीलांट के प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलांट के नामान्तकरण के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 65/2003 बउनवानी बद्री बनाम घासी वगै0 में भी वादीगण के विचाराधीन वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। रेस्पाडेन्ट द्वारा अपीलांट की वसीयत के संबंध में आज दिनांक तक किसी भी सिविल न्यायालय में कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की है। अपीलांट ने तहसीलदार जमवारामगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2018 की नकील दिनांक 16.05.2018 को प्राप्त कर अपने अभिभाषक महोदय को दी जिसके पश्चात अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के वारिसान वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए जानबूझकर अपीलांट को उसके काश्तकारी अधिकरों से वंचित रखना चाहते है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 13/17 बउनवानी राधेश्याम बनाम बद्री में तहसीलदार जमवारामगढ में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2018 को

निरस्त फरमाया जावे एवं खसरा नंबर 69, 72, 137 के संबंध में अपील स्वीकार की जाकर वसीयतग्रहिता के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2/1 लगायत 2/6 ने प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम धारा 135 के अंतिम आदेश नहीं होकर अर्न्तवर्ती आदेश है जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद के निस्तारण तक विक्रय पत्र द्वारा भूमि का खातेदार होने का प्रश्न निहित होने तक नामान्तकरण की प्रौसिडिंग स्टे किये जाने के आदेश पारित किये है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय को तहसीलदार के समक्ष लम्बित नामान्तकरण की मूल आदेश की अपील मेन्टेनेबल है। विवादित आराजीयात रेस्पाडेन्ट के हकपूर्वाधिकारी बदरी और हनुमान के द्वारा घासी से उक्त भूमि दिनांक 02.02.1978 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद ली थी और विक्रय पत्र में कब्जा दे दिया अंकित है। रेस्पा0 के पूर्वज बद्री के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज नहीं हो के कारण घासी पुत्र झूथा ब्राहम्ण ने पुनः दिनांक 17.03.1978 को घासी पुत्र सोहन और गंगाराम पुत्र बालू को रजिस्ट्री करवा दी शून्य प्रभावी है जिसके संबंध में बद्री एवं हनुमान के वारिस ने घोषणा का नियमित वाद पेश कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित आदेश पारित किया है इसलिए अपील अपीलांट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उभय पक्ष को सुनकर न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपर्वूक गौर किया गया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 08.06.2017 अनुसार प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21.07.2017 को पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2018 को रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रोसिंडिग स्थगित किये जाने में बहस सुनी गयी जिसके पश्चात दिनांक 12.04.2018 को रेस्पा0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने के आदेश पारित किय। विचाराधीन प्रकरण में प्रथम दृष्टया तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर प्रकरण में कार्यवाही की

गयी इसलिए प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत आता है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत की कार्यवाही/आदेश के विरूद्ध सुनवाई का श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु संख्या 12 में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलांट (वसीयतग्रहिता) का वसीयतनामें के आधार पर वसीयत का नामान्तकरण खोलने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है एवं वसीयतनामें बाबत आपत्तिकर्ता बद्री मीणा का कोई भी विवाद नहीं है। जबकि रेस्पाडेन्ट अधिवक्ता द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में घोषणा का वाद विचाराधीन होना जाहिर किया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 09.11.2012 में भी खसरा नंबर 69, 72, 137 वाके ग्राम खेमावास के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर आदि में प्रकरण जैरकार होने एवं स्थगन आदेश होने के आधार पर सक्षम न्यायालय से निस्तारण होने के बाद में अपीलांट को अपना उज्र प्रस्तुत कर हक प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया था। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य प्रश्नगत भूमि के हक अधिकारो के बिन्दु पर विवाद होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण के संबंध में प्रोसिडिंग को स्थगित किया है। अपीलाधीन प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने के बाद अपील अपीलांट श्रवण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर भी न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ की मिसल निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)